संख्या- 62 /2022/ 309 /चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0 प्र0 राजकीय अभिलेखागार,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 16 मार्च, 2022

विषयः- शासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु की गयी यात्राओं पर हुए व्यय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1040/नौ-86/2020-21 दिनांक 18 फरवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेशक हुआ है कि शासकीय कार्यो के निष्पादन हेतु दिनांक 29 जून, 2021 से दिनांक 15 अक्टूबर, 2021 के मध्य की गयी यात्राएं अनुमोदित करते हुए उक्त यात्राओं पर हुए व्यय रू0 56,734.00 (रू0 छप्पन हजार सात सौ चौतिस मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

4. प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, राजकीय अभिलेखागार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, राजकीय अभिलेखागार का होगा।

5. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92-के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-104-अभिलेखागार-03-राज्य अभिलेख-04-यात्रा व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृति प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 62 /2022 / 309 (1) /चार-2022 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।